| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**प्यारेलाल बनाम दर्शनसिंह**<br>**(जीसीएमएस नं. 2020/00537) 819/20** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 21.12.20 | पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित। उनकी बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर है कि अपीलान्ट द्वारा उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू के आवंटन आदेश दिनांक 13.01.2016 के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत प्रथम अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है जबकि उपखण्ड अधिकारी के आवंटन सम्बन्धी आदेश के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रथम अपील की सुनवाई के अधिकार न्यायालय हाजा हो प्रदत्त नही है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की हस्तगत न्यायालय हाजा के समक्ष पोषणीय नही होने पर अपील पर अग्रिम कार्यवाही न्यायालय हाज़ा के स्तर पर संभव नही है।<br>अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर हस्तगत अपील न्यायालय हाजा के स्तर पर पोषणीय नही होने से अपील सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु अधिवक्ता अपीलान्ट को वापस लौटाई जावें तथा न्यायालय हाजा की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा पत्रावली बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो आदेश सुनाया गया।<br>**(डॉ.समित शर्मा)**<br>संभागीय आयुक्त<br>जयपुर | |